राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

नदियों के अंतर्योजन की परियोजना हेतु विशेष समिति की छठवीं बैठक के कार्यवृत्त

(15 सितंबर, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित)

नई दिल्ली

सुश्री उमा भारती, माननीय केंद्रीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अध्यक्षता में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 15.09.2015 को आयोजित नदियों के अंतर्योजन की परियोजना हेतु विशेष समिति की छठवीं बैठक के कार्यवृत्त।

सुश्री उमा भारती, माननीया केंद्रीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, की अध्यक्षता वाली विशेष समिति की छठवीं बैठक 15.09.2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 11.00 बजे आयोजित की गई थी। श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, माननीय जल संसाधन मंत्री, झारखंड सरकार; श्री एम.बी. पाटिल, माननीय जल संसाधन मंत्री, कर्नाटक सरकार; श्री विजय शिवतारे, माननीय जल संसाधन राज्य मंत्री, महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार संगठनों के विभिन्न सदस्यों/प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों और प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक-I पर रखी गई है।

आरंभ में, माननीया जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री ने बैठक में सदस्यों और सदस्यों को विशेष समिति का स्वागत किया। उन्होंने उल्लेख किया कि देश के जल और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नदियों के अंतर्योजन की परियोजना का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण था और जल, सूखा प्रवण और बारिश वाले क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने में बहुत मददगार होगा। भारत सरकार संबंधित राज्य सरकारों की मतैक्यता और सहयोग के साथ नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उल्लेख किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 27 फरवरी 2012 के अपने निर्णय में नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रमको राष्ट्रीय हित कानिरूपितकिया था और इसके शीघ्र कार्यान्वयन के लिए निर्देश दिया था। माननीय मंत्री (डब्ल्यू.आर., आर.डी. एंड जी.आर. मंत्रालय) ने उल्लेख किया कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक 31 अगस्त, 2015 को खजुराहो में आयोजित की गई थी, जिसमें केन-बेतवा लिंक परियोजना पर भी चर्चा हुई। । इसके बाद, सलाहकार समिति द्वारा केन-बेतवा लिंकपरियोजनाके प्रस्तावित दौधन बांध स्थल का दौरा किया गया और स्थानीय जनों के साथ बातचीत की। माननीय संसद सदस्यों ने कार्यान्वयन के लिए परियोजना को आगे बढ़ाने हेतु उनके मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। माननीय मंत्री ने आगे कहा कि पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) रा.ज.वि.अ. द्वारा पूरी की गई है और 25 अगस्त, 2015 को गुजरात और महाराष्ट्र सरकार को प्रस्तुत की गई थी। उन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र, दोनों सरकारों से दमनगंगा-पिंजल एवं पार-तापी-नर्मदा परियोजनाओं के संबंध में जल भागीदारी के मुद्दे को संबोधित करने और एक समझौते पर पहुंचने के लिए आग्रह किया ताकि इन दोनों परियोजनाओं के कार्यान्वयन को शीघ्रातिशीघ्र आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने उल्लेख किया कि विशेष सचिव (डब्ल्यू.आर., आर.डी. एंड जी.आर. मंत्रालय) के नेतृत्व में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल ने कोलकाता में 17 अगस्त 2015 को पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव के साथ बैठक की और संकोष महानदी लिंक प्रणाली के प्रस्ताव पर चर्चा की। जिसमें चार लिंक अर्थात संकोष-तिस्ता-गंगा, गंगा-दामोदर-सुबर्णरेखा, सुबर्णरेखा-महानदी और फरक्का-सुंदरबन शामिल हैं। प्रस्तावित लिंक प्रणाली पश्चिम बंगाल को घरेलू/औद्योगिक जल आपूर्ति के अलावा 10.5 लाख हेक्टेयर के वृहत् सिंचाई लाभ प्रदान करेगा। उन्होंने उल्लेख किया कि राज्य सरकार से प्रस्ताव में मतैक्य देने और इसके सुधार के लिए उनके सुझाव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। माननीय मंत्री ने विशेष रूप से संबंधित राज्य सरकारों से सभी सदस्यों की सहकारिता एवं सहयोग की मांग की, जो नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए बहुत आवश्यक है।

माननीय मंत्री (डब्ल्यू., आर.डी. और जी.आर. मंत्रालय) ने अपने विचार व्यक्त करने के लिए राज्य सरकारों के माननीय मंत्रियों से अनुरोध किया।

झारखंड:

झारखंड सरकार के जल संसाधन मंत्री माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने उल्लेख कि कार्यसूची में झारखंड राज्य के तीन अंतरा-राज्यनदियों के अंतर्योजन की परियोजना के विवरण शामिल नहीं थे। उनके द्वारा इन लिंकों की नवीनतम स्थिति वांछित की गई। उन्होंने उल्लेख किया कि सांख-दक्षिण कोयल और दक्षिण कोयल-सुबर्णरेखा के अंत-राज्य नदियां जोड़ने की परियोजनाओं की पूर्व संभाव्यता प्रतिवेदन रा.ज.वि.अ. द्वारा पूरे कर लिए गए हैं, हालांकि ओडिशा सरकार की आपत्तियों के कारण इन लिंकों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तैयार करने का काम आरंभ नहीं किया जा सका। उन्होंने आग्रह किया कि इस संबंध में गठित समूह की प्रारंभिक बैठक जल्द से जल्द मुद्दों को सुलझाने के लिए आयोजित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दामोदर घाटी जलाशय विनियमन समिति (डी.वी.आर.आर.सी.) से मंजूरी के कारण बरकर-दामोदर-सुबर्णरेखा अंतरा-राज्य लिंकके डी.पी.आर. का कार्य बाधित हुआ था और शीघ्रातिशीघ्र डी.वी.आर.आर.सी. की बैठक का आयोजन करने के लिए अनुरोध किया।उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि इन लिंक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्त पोषण की नीति शीघ्र ही तय की जाए और अनुरोध किया गया कि उनके राज्य के अंतराल-राज्य लिंक परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं का दर्जा दिया जाए।

पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि ने अनुरोध किया कि पश्चिम बंगाल से प्रतिनिधित्व के साथ "बरकर-दामोदर-सुबर्णरेखा अंतरा-राज्य लिंक का उप-समूह" भी स्थापित किया जा सकता है ताकि बरकर-दामोदर-सुबर्णरेखा की योजना में पश्चिम बंगाल के विचारों परध्यान दिया जा सके। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने उल्लेख किया कि विशेष समिति के तहत आम मतैक्यता बनाने की केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष के अधीन एक उप-समिति पहले हीसंबंधित राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ गठित की गई थी। यह निर्णय लिया गया कि बरकर-दामोदर-सुबर्णरेखा लिंक परियोजना पर इस उप-समिति द्वारा चर्चा की जाएगी, जिसमें पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया जाएगा।

कर्नाटक:

श्री एम.बी. पाटिल, माननीय जल संसाधन मंत्री, कर्नाटक सरकार ने कहा कि महानदी-गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार लिंक प्रणाली के माध्यम से अधिशेष महानदी और गोदावरी जल से उनके राज्य का लाभ वर्ष 1980 से 283 टीएमसी से 164 टी.एम.सी. तक घटा दिया गया है और वर्ष 2010 में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। उन्होंने उल्लेख किया कि कर्नाटक राज्य का कृष्णा बेसिनमें वृहत् डी.डी.पी. और डी.पी.ए.पी. क्षेत्र और कावेरी बेसिन में सबसे बड़े सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं। माननीय मंत्री ने आग्रह किया कि लिंक योजनाओं के तहत व्यपवर्तन से लाभ की गणना न्यायोचित वितरण के सिद्धांत पर की जानी चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि रा.ज.वि.अ. को तमिलनाडु के पोन्नैयार-पलार अंतरा-राज्य लिंक के माध्यम से व्यपवर्तन के लिए बेंगलुरु शहर से पुनर्जीवित किए गए जल की मात्रा पर विचार नहीं करना चाहिए। बैठक के दौरान प्रस्तुत एवं माननीय मंत्री द्वारा अध्यक्ष को लिखित रूप में दिए गए उपरोक्त विचार अनुलग्नक-2 के रूप में संलग्न हैं।

माननीय केन्द्रीय मंत्री (डब्ल्यू.आर., आर.डी. एवं जी.आर. मंत्रालय) ने निर्देश दिया कि कर्नाटक सरकार और रा.ज.वि.अ. के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई जाए ताकि इन मुद्दों पर बाद में विशेष समिति की बैठक के दिवस के दौरान विस्तार से चर्चा की जा सके।

महाराष्ट्र:

श्री विजय शिवतारे, माननीय राज्य जल संसाधन राज्य मंत्री, महाराष्ट्र सरकार ने वांछित किया कि दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना में जल की साझेदारी 75% निर्भरता पर होनी चाहिए एवं परियोजना के विभिन्न घटकों जैसे सुरंग आदि को व्युत्पन्न जल के इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जलसंकट वाले वर्षों में,

जल आवंटन के अनुपात में महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों द्वारा विपत्ति साझा की जानी चाहिए। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि दमनगंगा बेसिन के अधिशेष जल से 143 एमसीएम जलका व्यपवर्तन कम जलीय गोदावरी बेसिन में करने हेतुरा.ज.वि.अ. ने पहले ही दमनगंगा (इकदारे)-गोदावरी घाटी अंतरा-राज्य लिंक प्रस्ताव का अध्ययन किया है;एवं रा.ज.वि.अ. द्वारा तैयार पीएफआर के अनुसार, लिंक तकनीकी-आर्थिक रूप से संभवहै। उन्होंने उल्लेख किया कि महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही रा.ज.वि.अ. को इस अंत:राज्यीय संबंध के डी.पी.आर. की तैयारी का कार्य करने हेतु अनुरोध किया है और अनुरोध किया है कि इस लिंक को दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना के भाग के रूप में माना जाए। उन्होंने कहा कि दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाना चाहिए और केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए प्रस्तावित मार्गों पर संयुक्त कार्यान्वयन मंडल का गठन किया जाना चाहिए। रा.ज.वि.अ. से पार-तापी-नर्मदा लिंक के डी.पी.आर. की प्राप्ति को स्वीकार करते हुए, माननीय मंत्री ने उल्लेख किया कि पार-तापी-नर्मदा लिंक के डी.पी.आर. की जांच की जा रही है और महाराष्ट्र सरकार के विचारों/टिप्पणियोंको दो महीने की अवधि के भीतर रा.ज.वि.अ. को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार जल क्षेत्र के सुधारों के कार्यान्वयन के मामले में सदैव सबसे आगे रही है और केन्द्रीय सहायता के साथ इन नदियों के अंतर्योजन कीपरियोजनाओं के लिए उत्सुक थी। उन्होंने वैनगंगा-नलगंगा अंतरा-राज्य लिंक परियोजना के डी.पी.आर. तैयार करने के कार्य में तेजी लाने का अनुरोध किया। उन्होंने कोयना टेलरेस-मुंबई अंतरा-राज्यलिंक के डी.पी.आर. तैयार करने के लिए भी आग्रह किया।

वैनगंगा-नलगंगा अंतर-राज्य लिंक परियोजना के बारे में, रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने बताया कि इस लिंक परियोजना के डी.पी.आर. के कार्य की प्रगति जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए जल की उपलब्धता में बदलाव के कारण बाधित हुई थी, जिसने परियोजना की योजना और बनावट को प्रभावित किया था।

इसके पश्चात, अध्यक्ष की अनुमति के साथ, महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. और सदस्य सचिव ने चर्चा के लिए कार्यसूची मदें प्रस्तुत कीं।

मद सं.6.1: नई दिल्ली में 13 जुलाई, 2015 को आयोजित नदियों के अंतर्योजन कीविशेष समिति की पांचवीं बैठक के कार्यवृत्तों की पुष्टि

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने बताया कि नदियों को जोड़ने के लिए विशेष समिति की पांचवीं बैठक के कार्यवृत्त 5.8.2015 के पत्र के माध्यम से वितरित किए गए थे। तमिलनाडु सरकार ने 11.9.2015 के पत्र के माध्यम से अपनी टिप्पणियों को भेजा था और मद 5.8 के तहत कार्यवृत्त में "महानदी-गोदावरी लिंक परियोजना के संशोधित प्रस्ताव" के तहत निम्नलिखित को जोड़ने का सुझाव दिया।

> "यह माननीय वित्त और लोक निर्माण मंत्री और सरकार के प्रधान सचिव, लोक निर्माण विभाग, तमिलनाडु सरकार द्वारा अनुरोध किया गया था कि संशोधित प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले, प्रारंभिक चरण में भी, रा.ज.वि.अ. को लिंकके संशोधित प्रस्ताव का ब्यौरा देना चाहिए, क्योंकि यह तमिलनाडु के लिए महत्वपूर्ण है और जोर देकर कहा गया कि मूल रूप से प्रस्तावित तमिलनाडु में व्यपवर्तन की मात्रा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए"।

आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने पत्र दिनांक 3.9.2015 ने अपनी टिप्पणियों को भेजा और उल्लेख किया था कि:

> मद 5.8 के तहत आंध्र प्रदेश राज्य के विचार "आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधि ने उल्लेख किया कि गोदावरी बेसिनमें जल अधिशेष नहीं था और इन बेसिनों की आवश्यकता के लिए पर्याप्त था " के रूप में दर्ज किया गया था, जो सही नहीं है। वास्तव में, आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधि द्वारा दिया गया बयान यह है कि "संबंधित परियोजनाओं को भारत सरकार के वित्तपोषण के साथ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाया जाएगा"।

समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कार्यवृत्त पर कोई अन्य टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी।

तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सरकार की उपरोक्त टिप्पणियों को शामिल करते हुए की बैठक के कार्यवृत्त की समिति द्वारा पुष्टि की गई।

मद सं.6.2:पिछली बैठक के दौरान किए गए निर्णयों पर कार्रवाई का पालन

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने बताया कि विशेष समिति की पांचवीं बैठक के दौरान निर्णय लिया गया है:

(i) केन-बेतवा लिंकपरियोजनाका संशोधित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) प्रतिवेदन के कार्यकारी सारांश की एक प्रति श्री महाराज के. पंडित, सदस्य को पत्र दिनांक 26.08.2015 द्वारा भेजी गई थी।

(ii) सभी पिछले पांच बैठकों की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त की प्रतियां अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, असम सरकार को पत्र दिनांक 2015/08/25 द्वारा भेजी गईं थीं।

(iii) शारदा-यमुना और यमुना-राजस्थान लिंक परियोजनाओं के मसौदा संभाव्यताप्रतिवेदन (FRS) की प्रतियां उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान राज्योंके प्रधान सचिवों (सिंचाई/जल संसाधन) को पत्र दिनांक 1.9.2015 द्वारा भेजी गईं थीं।

उक्त उल्लिखित अनुवर्ती कार्रवाई को समिति द्वारा संज्ञान में लिया गया।

मद सं.6.3: नदियों को जोड़ने के लिए विशेष समिति के अनुमोदन से गठित की गईं विभिन्न उप -समितियों द्वारा की गई प्रगति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सूचित किया कि नदियों का अंतर्योजन (उप-समिति) के मुद्दे पर उपलब्ध विभिन्न अध्ययनों/प्रतिवेदनों के व्यापक मूल्यांकन के लिए उप-समिति ने 7 अप्रैल, 2015 और 5 वीं बैठक (उप-समिति-II के साथ संयुक्त बैठक) को 21 अगस्त, 2015 को अपनी चौथी बैठक आयोजित की।विभिन्न बेसिनों/उप-बेसिनोंके जल संतुलन अध्ययन की तैयारी के लिए रा.ज.वि.अ.की तकनीकी सलाहकार समिति (त.स.स.) के दिशानिर्देशों पर चर्चा हुई।

सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के लिए उप-समिति (उप-समिति-II)ने 11 मई, 2015 को अपनी चौथी बैठक, 28 जुलाई, 2015 को पांचवीं बैठक और 21 अगस्त, 2015 को छठवीं बैठक (उप-समिति-I के साथ संयुक्त) आयोजित कीं।इन बैठकों के दौरान महानदी-गोदावरी लिंक, गोदावरी-कृष्ण लिंक और मानस-संकोष-तिस्ता-गंगा लिंक पर चर्चा हुई।

मद सं.6.4: केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-I– विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियों की स्थिति

मद सं.6.4.1: पर्यावरण मंजूरी

रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने बताया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-I के प्रस्ताव पर 24.8.2015 को आयोजित अपनी 86 वीं बैठक में पर्यावरण मंजूरी समिति (पर्यावरण), वन एवं जलवायु परिवर्तन पर्यावरण पर्यावरण मंजूरी (ईसी) के लिए विचार किया गया था। नई दिल्ली में ईएसी ने सैद्धांतिक रूप में केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-I में पर्यावरण निकासी के मुद्दे पर विचार किया है। ईएसी ने कुछ अतिरिक्त जानकारी चाही है। ईएसी ने रा.ज.वि.अ. को परियोजना के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्राप्त एनजीओ/व्यक्तियों के प्रतिनिधियों के उत्तर भी प्रस्तुत करने के लिए कहा है। परियोजना के पर्यावरण मंजूरी के अनुसार ईएसी द्वारा विचाराधीन करने के लिए रा.ज.वि.अ. द्वारा उपरोक्त टिप्पणियों के लिए आवश्यक विवरण/उत्तरको पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।

कार्यसूची टिप्पण में दिए गए विवरण समिति द्वारा संज्ञान में लिए गए।

मद सं.6.4.2: वन्यजीव क्लीयरेंस

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने बताया कि मध्यप्रदेश के राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक 11.8.2015 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई थी। केन-बेतवा लिंकपरियोजना की वन्यजीव मंजूरी का मुद्दा राज्य वन्यजीव मंडल के विभिन्न सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न टिप्पणियों /मुद्दों पर स्पष्टीकरण की मांग के लिए राज्य वन्यजीव मंडल एसडब्ल्यूएलबी) की अगली बैठक के लिए स्थगित किया गया था जो कार्यसूची मदों में से एक था।

यह उल्लेख किया गया कि महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने 28 अगस्त, 2015 को माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के साथ बैठक की और एसडब्ल्यूएलबी की प्रारंभिक बैठक के लिए अनुरोध किया। राज्य वन्यजीव मंडल की अगली बैठक 22 सितंबर, 2015 को भोपाल, मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की अध्यक्षता में होगी।

कार्यसूची टिप्पण में दिए गए विवरण समिति द्वारा संज्ञान में लिए गए।

मद सं. 6.4.3: वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने बताया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रस्ताव पर प्रत्येक संबंधित ग्राम सभा ने परियोजना क्षेत्र में चर्चा की और पारित किया। छतरपुर के जिलाधीश से दिनांक 25.9.2015 को छतरपुर जिले के संबंध में एफआरए प्रमाणपत्रमिला है। पन्ना जिले के संबंध में एफआरए प्रमाणपत्र प्रगति पर है। उल्लेख किया गया कि दौधन बांध की संशोधित सीएटी योजना रा.ज.वि.अ. को सीसीएफ छतरपुर और सीसीएफ सागर और निदेशक,पन्ना ने 30.07.2015 को सभी प्रश्नों का पालन करते हुए प्रस्तुत किया है। रा.ज.वि.अ. संबंधित सीसीएफ के साथ प्रकरण में जल्द से जल्द

सीएटी योजना की तकनीकी मंजूरी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, ताकि मामले की प्रक्रिया के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट पर वांछित जानकारी अपलोड की जा सके।

मद सं.6.5: केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-II के डी.पी.आर. की वर्तमान स्थिति

मद सं.6.5.1: निचला ओर बांध की वन स्वीकृति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने बताया कि निचला ओर बांध के वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए प्रपत्र-I को कलेक्टर और डीएफओ अशोक नगर और शिवपुरी को वन स्वीकृति के मामले में प्रसंस्करण के लिए सौंप दिया गया है। निचला ओर बांध के वन मंजूरी के मामले में आगे की प्रक्रिया वन विभाग, मप्र द्वारा की जाएगी। वन विभाग, मप्र द्वारा प्रपत्र के अन्य भागों को पूरा करने के बाद, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वन मंजूरी जारी करने के लिए उनकी अनुशंसाओं के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

मद सं.6.5.2: निचला ओर बांध की पर्यावरण निकासी

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ.सूचित किया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित टीओआर के अनुसार केन-बेतवा चरण-II के तहत निचला ओर बांध के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) के अध्ययन को डब्ल्यूएपीसीओएस द्वारा पूरा किया गया था। यह उल्लेख किया गया था कि निचला ओर बांध की सार्वजनिक सुनवाई 3 स्थानों पर आयोजित की जाएगी, (i) 17.09.2015 को गांव दिदुनी, जिला शिवपुरी, (ii) 18.9.2015 को ग्राम पाइपवाड़, जिला अशोक नगर और (iii) 19.9.2015 को ग्राम नोनेर, जिला दतिया।

कार्यसूची टिप्पण में दी गई जानकारी समिति द्वारा संज्ञान में ली गई।

मद सं.6.5.3: केन-बेतवा लिंकपरियोजना बांध स्थल के लिए जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालयकी सलाहकार समितिका भ्रमण

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सूचित किया कि खजुराहो में 31.8.2015 को माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) की अध्यक्षता में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण की सलाहकार समिति की एक बैठक हुई थी। बैठक में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा 9 संसद सदस्य शामिल हुए थे। बैठक के बाद, सलाहकार समिति ने केन-बेतवा लिंकपरियोजना चरण-I के प्रस्तावित दौधन बांध स्थल का दौरा किया और डूब क्षेत्र में आने वाले स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की। स्थानीय लोगों ने परियोजना के लिए अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया क्योंकि यह उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा। संसद के माननीय सदस्यों ने माननीय मंत्री (डब्ल्यू.आर., आर.डी. एंड जी.आर. मंत्रालय) के कार्यान्वयन के लिए परियोजना को आगे बढ़ाने में मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।

कार्यसूची टिप्पण में दिए गए विवरण समिति द्वारा संज्ञान में लिए गए।

मद सं.6.6: दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजनाएं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (डी.पी.आर.) की वर्तमान स्थिति

मद सं.6.6.1 : दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ.ने सूचित किया कि रा.ज.वि.अ.द्वारा मार्च 2014 के दौरान दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना का डी.पी.आर. पूरा कर लिया गया और अप्रैल, 2014 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों की सरकारों को प्रस्तुत किया गया। ग्रेटर मुंबई महानगर निगम (एमसीजीएम) ने जनवरी 2015 के दौरान केंद्रीय जल आयोग को दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना के डी.पी.आर. के मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत कर दिया है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जा रहा है। माननीय केन्द्रीय मंत्री (डब्ल्यू.आर., आर.डी. एंड जी.आर. मंत्रालय) ने 7 जनवरी, 2015 को मुंबई में महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक आयोजित की, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।

जल संसाधन राज्य मंत्री, माननीय राज्य मंत्री महाराष्ट्र के अपने शुरुआती संबोधन में व्यक्त विचारों को दोहराया और कहा कि 100% भरोसेमंदता के बजाय दमनगंगा-पिंजल लिंक की योजना 75%की निर्भरता पर विचार करने और तदनुसार सुरंगों की बनावट का आग्रह किया। उन्होंने सुझाव दिया कि विद्यमान मधुबना बांध के गुजरात जलग्रहण क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले जल प्रस्तावित भुगड बाँधके बजाय प्रस्तावित खारगिल बांध से छोड़ा जा सकता हैजिससे कि पश्चिम घाट में पूर्व दिशा में पश्चिम घाट के लिए भुगड बांध के ऊपरी भाग में महाराष्ट्र को पर्याप्त जल मिल सके।

विशेष सचिव (डब्ल्यू.आर., आर.डी. एंड जी.आर. मंत्रालय) ने दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना के कार्यान्वयन में महाराष्ट्र के माननीय मंत्री से उनके समर्थन का अनुरोध किया जो कि वर्ष 2060 तक मुंबई शहर की अनुमानित घरेलू जल आवश्यकता को पूरा करेगा। उन्होंने उल्लेख किया कि रा.ज.वि.अ. परियोजना को अधिक आकर्षक बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के सुझावों को समायोजित करने के लिए नियोजन में मामूली संशोधन करने के लिए खुला था। माननीय मंत्री, महाराष्ट्र ने दमनगंगा-पिंजल लिंकपरियोजना के कार्यान्वयन में अपनी सरकार का पूर्ण समर्थन सुनिश्चित किया।

मद सं. 6.6.2 : पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सूचित किया कि रा.ज.वि.अ.द्वारा पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना का डी.पी.आर. पूरा कर लिया गया है और अगस्त 2015 में महाराष्ट्र सरकार को सौंप दिया गया था। यह उल्लेख किया गया कि गुजरात और महाराष्ट्र के बीच जल और बिजली के साझाकरण के मुद्दे दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजनाओं के संबंध में राज्यों को अब इन राज्यों के साथ लिया जाएगा और जल और बिजली साझाकरण पर एक समझौता ज्ञापन पर विचार-विमर्श किया जाएगा और इस संबंध में हस्ताक्षर किए जाएंगे जो इसके कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

माननीय जल संसाधन राज्य मंत्री, महाराष्ट्र सरकार ने दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजनाओं के कार्यान्वयन की दिशा में अपनी सरकार का समर्थन किया। उन्होंने उल्लेख किया कि पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना के डी.पी.आर. की जांच की जा रही है और उनके निरीक्षण/विचार दो महीने की अवधि में रा.ज.वि.अ. को सौंपे जाएंगे।

माननीय मंत्री (डब्ल्यू.आर., आर.डी. एंड जी.आर. मंत्रालय) ने समझौते तक पहुंचने के लिए पार-तापी-नर्मदा और दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजनाओं की लागत, जल और बिजली के साझाकरण के मुद्दे को लिए जाने हेतु गुजरात और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों से अनुरोध किया। माननीय मंत्री ने उल्लेख किया कि महाराष्ट्र और गुजरात के माननीय

मुख्यमंत्रियों के साथ दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा परियोजनाओं में जल के बंटवारे के संबंध में बैठक आयोजित की जाएगी, जहां सभी संबंधितों को आमंत्रित किया जाएगा। एनडब्लूडीए इन दोनों परियोजनाओं पर एक प्रस्तुति देगा,जिसमें सभी संबंधित मुद्दों को शामिल किया जाएगा।

मद सं.6.7: महानदी-गोदावरी लिंक परियोजना का संशोधित प्रस्ताव

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सूचित किया कि महानदी-गोदावरी लिंक परियोजना के संशोधित प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए विशेष समिति की पांचवीं बैठक के दौरान, जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव, ओडिशा सरकार ने महानदी बेसिन में अधिशेष जल राशि का मुद्दा उठाया था। इस मुद्दे पर 28 जुलाई, 2015 को हुई अपनी चौथी बैठक में सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना (उप-समिति-II) की पहचान के लिए प्रणाली अध्ययनके लिए उप-समिति द्वारा चर्चा की गई थी। उप-समिति ने महानदी बेसिनके जल संतुलन के संबंध में ओडिशा सरकार के दृष्टिकोण पर विचार किया।

यह उल्लेख किया गया कि महानदी-गोदावरी लिंक का प्रस्ताव 21 अगस्त, 2015 (उप-समिति-I के साथ संयुक्त) उप-समिति-II की छठवीं बैठक के दौरान द्वारा आगे चर्चा की गई थी। ओडिशा सरकार के प्रतिनिधि बैठक के दौरान उपस्थित थे और उनकी सरकार के विचार प्रस्तुत किए। बैठक के दौरान प्रस्तावित मणिभद्रा बांध स्थल पर महानदी बेसिन की जल की उपलब्धता/जल के संतुलन में भिन्नतापर रा.ज.वि.अ. और जल संसाधन विभाग, ओडिशा सरकार द्वारा चर्चा की गई।

कर्नाटक सरकार के माननीय जल संसाधनमंत्री ने अभिलाषित किया कि गोदावरी बेसिन के संशोधित महानदी-गोदावरी लिंक प्रस्ताव के अनुसार जल हस्तांतरण का विवरण और कृष्णाबेसिन को और स्थानांतरित करना कर्नाटक सरकार को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने उल्लेख किया कि संशोधित महानदी-गोदावरी लिंक प्रस्ताव के विभिन्न मानदंडों को अभी भी ओडिशा सरकार के साथ चर्चा चरण में रखा गया है और इस तरह के विवरणों को अंतिम रूप देने के बाद ही प्रदान किया जा सकता है। हालांकि, यह उल्लेख किया गया था कि महानदी-गोदावरी लिंक के प्रारंभिक प्रस्ताव का विवरण पहले ही विशेष समिति की बैठकों में उपलब्ध कराया गया था। तमिलनाडु सरकार के प्रतिनिधि ने देखा कि उनके राज्य के लिए, एक सूखे से प्रभावित, महानदी-गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-कावेरी-वैगई-गुंडर लिंक प्रणाली ही जल की वृद्धि के लिए एकमात्र आशा थी और प्राथमिकता पर इसके कार्यान्वयन के लिए अनुरोध किया था ।

मद 6.8: गोदावरी-कृष्ण लिंक परियोजनाएं

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सूचित किया कि 28 जुलाई, 2015 को आयोजित प्रणाली अध्ययन के लिए उप-समिति की पांचवीं बैठक के दौरान, तीन प्रायद्वीपीय लिंक परियोजनाओं की योजना और वर्तमान स्थिति, जैसे (i) इंचमपल्ली (गोदावरी)-नागार्जुनसागर (कृष्णा) लिंक; (ii) इंचमपल्ली (गोदावरी)-पुलिछिन्तला (कृष्णा) लिंक; (iii) गोदावरी-कृष्णा नदियों के बीच पोलावरम (गोदावरी)-विजयवाड़ा (कृष्णा) के संबंध में चर्चा हुई। यह उल्लेख किया गया कि उप-समिति ने निर्णय किया था कि प्रस्तावित इंचमपल्ली बाँध स्थल पर गोदावरी बेसिन का जल संतुलन अध्ययन नवंबर-2015 तक संशोधित/अद्यतन किया जाएगा।

मद 6.9: मानस-संकोष-तिस्ता-गंगा लिंक

मद 6.9.1 प्रणाली अध्ययन के लिए उप-समिति की बैठक में चर्चा

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सूचित किया कि वर्तमान मानस-संकोष-तिस्ता-गंगा (एमएसटीजी) लिंक की योजना और स्थिति रा.ज.वि.अ. द्वारा सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना (उप-समिति-II) की पहचान के लिए प्रणाली अध्ययन के लिए उप-समिति को 28 जुलाई, 2015 को आयोजित इसकी पांचवीं बैठक में प्रस्तुत की गई थी। मानस-संकोष-तिस्ता-गंगा लिंक में फरक्का में गंगा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए मानस, संकोष और अन्य मार्गों में उपलब्ध अधिशेष जल के व्यपवर्तन की परिकल्पना की गई है और कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और गुंडार घाटियों में जल के उपयोग के लिए दक्षिण में आगे व्यपवर्तन के लिए महानदी बेसिन में मार्ग के उपयोग के बाद 13965 एमसीएम जल उपलब्ध है।

मानस आरक्षित वन और अन्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों में लिंक परियोजना के हस्तक्षेप के कारण मनस-संकोष-तिस्ता-गंगा लिंक में शामिल पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने में असम के प्रतिनिधि ने रा.ज.वि.अ. के दृष्टिकोण के बारे में पूछा। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने स्पष्ट किया कि रा.ज.वि.अ. ने मानस-संकोष-तिस्ता-गंगा लिंक को फिर से संरेखित किया है जो अब बाघ आरक्षित क्षेत्रों से मुक्त है और लगभग वन मुक्त है। असम के प्रतिनिधि द्वारा यह जानना चाहा गया कि मानस नदी से दुर्बल मौसम में एमएसटीजी लिंक के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा अथवा नहीं। अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग ने स्पष्ट किया कि मनस-संकोष-तिस्ता-गंगा लिंक को दो प्रमुख जलाशयों- मानस और संकोष द्वारा समर्थित किया गया है। इन दो जलाशयों से विनियमित जल को लिंक नहर के माध्यम से स्थानांतरित किया जाएगा, इस तरह दुर्बल मौसमी प्रवाह से लिंक परियोजना की योजना प्रभावित नहीं होगी।

मद सं. 6.9.2: महानदी लिंकप्रणाली के बारे में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के दल की पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव के साथ बैठक

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सूचित किया कि जल संसाधन, आरडी और जीआर मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम विशेष सचिव (डब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) के नेतृत्व में और रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक और अन्य अधिकारी सहित मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार के साथ संकोष-महानदी-लिंक प्रणाली के संबंध में 17 अगस्त, 2015 को कोलकाता में बैठक हुई।प्रधान सचिव (जल संसाधन)और जल संसाधन,पश्चिम बंगालके अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। प्रस्तावित संकोष-महानदी लिंक प्रणाली पर बैठक के दौरानएक प्रस्तुति दी गई जिसमें चार लिंक अर्थात संकोष-तिस्ता-गंगा (मनस-संकोष-तिस्ता-गंगा लिंक का पहला चरण), गंगा-दामोदर-सुबर्णरेखा, सुबर्णरेखा-महानदी और फरक्का-सुंदरबन बनाया गया था। प्रस्तावित संकोष-महानदी लिंक प्रणाली में पश्चिम बंगाल राज्य के लिए घरेलू/औद्योगिक जल आपूर्ति आदि से लगभग 10.50 लाख हेक्टेयर के कुल सिंचाई लाभ की परिकल्पना की गई है। यह अनुरोध किया गया था कि रा.ज.वि.अ. द्वारा संकोष-महानदी लिंकप्रणाली की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सहमति के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जवाब दिया जा सकता है।

पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि द्वारा कहा गया कि परियोजना प्रस्ताव उन्हें औपचारिक रूप से लिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिस का परीक्षण किया जाएगा और इसके बाद परियोजना प्रस्ताव पर पश्चिम बंगाल सरकार के विचार/टिप्पणियों से अवगत कराया जाएगा। उन्होंने परियोजना में आवश्यक जमीन अधिग्रहण के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की, जो कि राज्य में एक गंभीर मुद्दा था।

यह निर्णय लिया गया कि संकोष-महानदी लिंकप्रणाली के बारे में प्रारंभिक प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया/अवलोकन प्रदान करेगी। माननीय मंत्री (डब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुद्दे/चिंताएं बहुत महत्वपूर्ण थीं और नदियों का अंतर्योजन परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन के दौरान उन्हें उचित रूप से संबोधित किया जाएगा।

मद सं.6.10: अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद

रा.ज.वि.अ. के पुनर्गठन पर उप-समिति की रिपोर्ट

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने उल्लेख किया कि नदियों को जोड़ने के लिए विशेष समिति ने रा .ज.वि.अ. के पुनर्गठन के लिए आईसीआईडी के पूर्व महासचिव श्री एम. गोपालकृष्णन की अध्यक्षता मेंएक उप-समिति गठित की थी। यह सूचित किया गया कि उप-समिति ने रा.ज.वि.अ. के पुनर्गठन पर अपना कार्य पूरा कर लिया है और इसकी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। श्री एम. गोपालकृष्णन को रा.ज.वि.अ. के पुनर्गठन पर रिपोर्ट की मुख्य पहल पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति देने के लिए अनुरोध किया गया।

श्री गोपालकृष्णन ने रा.ज.वि.अ. के पुनर्गठन के सुझाव में इसके विस्तारित अधिदेश को ध्यान में रखते हुए उप-समिति के दृष्टिकोण को संक्षेप में समझाया। उन्होंने उल्लेख किया कि प्रतिवेदन पूरा हो चुका है और औपचारिक रूप से शीघ्र ही इसे प्रस्तुत किया जाएगा।

संक्षेप में उप-समिति की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

(i) संसद के एक अधिनियम के द्वारा नदियों के अंतर्योजन के समग्र उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय नदियों को जोड़ने का प्राधिकरण (नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ़ रिवर्स अथॉरिटी – एनआईआरए) बनाया जा सकता है, जो प्रभावी ढंग से विस्तारित अधिदेश के साथ प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए सक्षम हो।

(ii) प्राधिकरण के प्रमुख को उच्चतम स्तर पर राज्य सरकार के अधिकारियों को आमंत्रित करने और नदियों के अंतर्योजन की विशेष समिति की उपयुक्त बैठक के लिए बैठकें आमंत्रित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

(iii) एनआईआरए सभी विद्यमान रा.ज.वि.अ. अधिकारियों और कर्मियों को उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा करने और उन्हें संगठित सेवाओं के मुकाबले बढ़ाकर अवशोषित करेगा।

(iv) रा.ज.वि.अ. को व्यापक और प्रभावी तरीके से मुद्दों से निपटने के लिए पेशेवरों के साथ मजबूत बनाना एक पूर्ण आवश्यकता है।

(v) इस प्रकार, पूर्वी/उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मुख्य अभियंता की अध्यक्षता वाली एक नई मैदानी इकाई के साथ विद्यमान व्यवस्थापन को मजबूत करने और प्रणाली अध्ययनों, व्यापक मूल्यांकन/परियोजना निगरानी के लिए विशिष्ट नई कार्यात्मक इकाइयां, एवं एक जीआईएस और आरएस यूनिट (प्रत्येक मामले में मुख्य अभियंता के पद के अधिकारी के नेतृत्व में भी) सहायक कर्मचारियों के साथ। रा.ज.वि.अ.के संवर्धित ढांचे के अनुरूप संबंधी सहयोग (प्रशासन, वित्त आदि) की पर्याप्त वृद्धि भी परिकल्पित की गई है।

(vi) तत्काल वृद्धि रा.ज.वि.अ.के सभी स्तरों पर न्यूनतम 710 पदों (124 समूह 'ए' अधिकारी, 107 ग्रुप 'बी' अधिकारी और 47 9 ग्रुप 'सी' अधिकारियों और कर्मचारी शामिल हैं) के साथ परिकल्पित है, जो 1982 में रा.ज.वि.अ. के प्रारंभिक चरण में 1677 के कार्यबल आंकड़ों से बहुत कम है।

सिफारिशों सहित प्रस्तुतियों का संक्षिप्त विवरण अनुबंध-3 में दिया गया है।

माननीय मंत्री (डब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) ने कहा कि रा.ज.वि.अ. के पुनर्गठन पर उप-समिति की अनुशंसाओं पर सरकार की प्रारंभिक स्वीकृति के लिए कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने रा.ज.वि.अ. के पुनर्गठन के लिए प्रतिवेदन की जांच करने के लिए श्री बी.एन. नवलावाला, मुख्य सलाहकार (डब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) और विशेष सचिव (डब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) से तत्काल स्वीकृति के लिए प्रक्रिया की जांच करने का अनुरोध किया।

कुछ सदस्यों ने अनुरोध किया कि रा.ज.वि.अ. के पुनर्गठन पर प्रतिवेदन की प्रति उन्हें प्रदान की जाए। यह निर्णय लिया गया कि डब्ल्यू.आर., आर.डी. एंड जी.आर. मंत्रालय को प्रतिवेदन की प्रति औपचारिक रूप से प्रस्तुत किए जाने पर इसे अपनी वेबसाइट पर रखा जाएगा।

बिहार के प्रतिनिधि ने अनुरोध किया कि विभिन्न राज्यों के अंतरा -राज्य लिंक परियोजनाओं की डी.पी.आर. की अद्यतन स्थिति नदियों के अंतर्योजन के लिए विशेष समिति की बैठकों के कार्यवृत्त टिप्पण में दी जा सकती है , जिस पर सहमति थी।

यह निर्णय लिया गया कि विशेष समिति के सदस्यों को पूरी तरह से नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूक बनाने हेतु, समिति की अगली बैठक में नदियों के जोड़नेपर व्यापक पृष्ठभूमि को दायरे में लेते हुए, अब तक किए गए अध्ययनों,लिंक परियोजनाओं के योजनाओं में शामिल विभिन्न मुद्दे और राज्य सरकारों के विचार आदि पर महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. द्वारा एक प्रस्तुति दी जाएगी।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन हुआ।

*****

अनुलग्नक-I

नदियों के अंतर्योजन की परियोजना हेतु विशेष समिति की दिनांक 15.09.2015 को नई दिल्ली में आयोजित पाँचवीं बैठक के सदस्यों, विशेष आमंत्रितोंऔर प्रतिभागियों की सूची

1.	सुश्री उमा भारती, माननीय केंद्रीय मंत्री	अध्यक्ष

	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	
2.	श्री एम.बी. पाटिल, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, कर्नाटक सरकार, बेंगलुरु	सदस्य
3.	श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार, रांची	सदस्य
4.	श्री विजय शिवतारे, माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई	सदस्य
5.	श्री ए.बी. पंडया, अधयक्ष, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
6.	श्री सतीष गवई, प्रधान सचिव,जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई	सदस्य
7.	श्री नवीन प्रकाश, प्रधान सचिव,सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता	सदस्य
8.	श्री सुरेश कुमार गोयल, सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़	सदस्य
9.	श्री सुखदेव सिंह, प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार, रांची	सदस्य

10.	श्री पी.बी. रामामूर्ति, अपर मुख्य सचिव,जल संसाधन विभाग, कर्नाटक सरकार, बेंगलुरु	सदस्य
11.	श्री जी.एस. प्रियदर्शिनी, विशेष सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ	सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व
12.	श्री दविंदर कुमार, अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, असम सरकार, दिसपुर	मुख्य सचिव, असम सरकार का प्रतिनिधित्व
13.	श्री वी.जे. कुरियन, अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, केरल सरकार, तिरुवंतपुरम	सदस्य
14.	श्री दीपक कुमार सिंह, सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	सदस्य
15.	श्री श्रीराम वेदिरे, सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय नई दिल्ली	सदस्य
16.	श्री विराग गुप्ता, सदस्य, कार्यबल	सदस्य
17.	श्री के.के. प्यासी, मुख्य अभियंता (से.नि.) सामाजिक कार्यकर्ता	सदस्य
18.	श्री टी.डी. साहू, प्रमुख अभियंता (पीएण्डडी), जल संसाधन विभाग, ओडिशा सरकार, भुवनेश्वर	मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार का प्रतिनिधित्व
19.	श्री विनोद शाह, मुख्य अभियंता, एसडब्ल्यूआरपीडी, राजस्थान सरकार, जयपुर	सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व
20.	श्री ओ.पी. खाखा, मुख्य अभियंता (निगरानी), जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर	प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनिधित्व
21.	श्री डी. रामा कृष्णा, मुख्य सचिव, आईएस एण्ड डब्ल्यूआर, जल संसाधन मंत्रालय, आंधप्रदेश सरकार, हैदराबाद	प्रधान सचिव (पी), आई एण्ड सीएडी विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व
22.	श्री एस.पी.एस. सैनी, मुख्य सचिव/आरडब्ल्यूसी,	मुख्य सचिव, पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व

	सिंचाई विभाग, पंजाब सरकार, चंडीगढ़	
23.	श्री आर. सुब्रमनियन,अध्यक्ष, सीटीसी सह आईएसडब्ल्यूडब्ल्यू	मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व
24.	श्री राजीव कुमार सुकालिकर, आयुक्त, सीएडी/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, म०प्र० सरकार, भोपाल	प्रधान सचिव, मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व
25.	श्री डी.सी. सिंह, मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून	सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड सरकार का प्रतिनिधित्व
26.	श्री जी. शंकर नायक, मुख्य अभियंता, जलविज्ञान एवं जांच, तेलंगाना सरकार, हैदराबाद	प्रधान सचिव, आई एण्ड सीएडी विभाग, तेलंगाना सरकार का प्रतिनिधित्व
27.	श्री पी.के.अग्रवाल, सलाहकार (लागत), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली	मुख्य सलाहकार (लागत), वित्त मंत्रालय, व्यय विभागका प्रतिनिधित्व
28.	श्री ब्रजेश सिक्का, सलाहकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, का प्रतिनिधित्व
29.	श्री कमलेश रबादिया, मुख्य अभियंता (एसजी) एवं अपर सचिव, एनडब्ल्यूआरडब्ल्यूएस एण्ड के विभाग, गुतराज सरकार, गांधीनगर	सचिव, डब्ल्यूआर, एनडब्ल्यूआर, डब्ल्याूएस एण्ड के विभाग, गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व
30.	श्री के.के. सिंह, अपर आवासीय आयुक्त, पुदुचेरी सरकार, पुदुचेरी	सचिव (पीडब्ल्यूडी), पुदुचेरी सरकार का प्रतिनिधित्व
31.	श्री एस. मसूद हुसैन, महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली	सदस्य-सचिव

स्थायी आमंत्रित

1.	श्री बी.एन. नवलावाला, मुख्य सलाहकार,डब्ल्यू.आर., आर.डी. एंड जी.आर. मंत्रालय, एवं अध्यक्ष, कार्यबल, नदियों का अंतर्योजन	

विशेष आमंत्रित

1.	डॉ० अमरजीत सिंह, विशेष सचिव, (डब्ल्यू.आर., आर.डी. एंड जी.आर. मंत्रालय), नई दिल्ली	
2.	श्री एम. गोपालकृष्णन,	

पूर्व महासचिव, आईसीआईडी
एवं अध्यक्ष, उप-समिति-III, विशेष समिति, नदियों का अंतर्योजन

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय एवं केंद्र सरकार के अधिकारी

1. डॉ० बी. राजेंदर,
संयुक्त सचिव (पीपी),
डब्ल्यू.आर., आर.डी. एंड जी.आर. मंत्रालय, नई दिल्ली

2. श्री प्रदीप कुमार,
आयुक्त (एसपी)
डब्ल्यू.आर., आर.डी. एंड जी.आर. मंत्रालय, नई दिल्ली

3. श्री बी.के. पांडा,
माननीय मंत्री, डब्ल्यूआर, आरडी एंड
जीआर मंत्रालय, नई दिल्ली के ओएसडी

4. श्री एस.के. शर्मा,
वरि. संयुक्त आयुक्त (पीपी),
डब्ल्यू.आर., आर.डी. एंड जी.आर. मंत्रालय, नई दिल्ली

5. श्री असित चतुर्वेदी,
वरि. संयुक्त आयुक्त (बीएम),
डब्ल्यू.आर., आर.डी. एंड जी.आर. मंत्रालय, नई दिल्ली

6. श्री समीर सिन्हा,
पीआईओ, डब्ल्यूआर, आरडी एंड
जीआर मंत्रालय, नई दिल्ली

7. श्री सुनील कुमार वर्मा,
सहायक सचिव,
डब्ल्यू.आर., आर.डी. एंड जी.आर. मंत्रालय, नई दिल्ली

8. श्री अनूप कुमार सिंह,
सहायक सचिव,
डब्ल्यू.आर., आर.डी. एंड जी.आर. मंत्रालय, नई दिल्ली

9. श्री एम. भरणी कुमार,
सहायक सचिव,
डब्ल्यू.आर., आर.डी. एंड जी.आर. मंत्रालय, नई दिल्ली

10. श्री मनीष कुमार,
सहायक सचिव,
डब्ल्यू.आर., आर.डी. एंड जी.आर. मंत्रालय, नई दिल्ली

राज्य सरकारों के अधिकारी

1. श्री गुरुपाद स्वामी बी.जी.,
सचिव,
जल संसाधन विभाग,
कर्नाटक सरकार, बेंगलुरु

2. श्री वाई.एस. पाटिल,
निजी सचिव,
जल संसाधन मंत्री,
कर्नाटक सरकार, बेंगलुरु

3. श्री अनिल कुमार,
उप सचिव,
जल संसाधन विभाग,
कर्नाटक सरकार, बेंगलुरु

4. श्री ए.के. गुप्ता,
प्रमुख अभियंता,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
हरियाणा सरकार, चंडीगढ़

5. श्री पवन वर्मा,
मुख्य अभियंता,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
हरियाणा सरकार, चंडीगढ़

6. श्री एस.सी. शर्मा,
अधीक्षण अभियंता,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
हरियाणा सरकार, चंडीगढ़

7. श्री डी.के. डुडेजा,
प्रमुख अभियंता,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ

8. श्री अनिल कुमार,
मुख्य अभियंता (दक्षिण),
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार, झांसी

9. श्री आर.वी. पांसे,
प्रमुख अभियंता (केड्ब्ल्यूडीटी) एवं संयुक्त सचिव,
जल संसाधन विभाग,
महाराष्ट्र सरकार, मुंबई

10. श्री सुजीत बोरकर,
राज्यमंत्री के ओएसडी,
महाराष्ट्र सरकार, मुंबई

11. श्री एम.पी. समरिया,
अधीक्षण अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
राजस्थान सरकार, नई दिल्ली

12. श्री योगेश मित्तल,
कार्यपालन अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर

13. श्रीमती सरोज शर्मा,
संपर्क अधिकारी, जल संसाधन विभाग,
राजस्थान सरकार, नई दिल्ली

14. श्री नितिन नंदगांवकर,
अपर निदेशक एवं एसए टू आईएम,
जल संसाधन विभाग एवं वाणिज्य कर मंत्रालय,
मध्यप्रदेश

15. डॉ० डी.के. सिंह,
अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग,
झारखंड सरकार, रांची

16. श्री भवानी राम शंकर,
अधीक्षण अभियंता (से.नि.),
परामर्शदाता (जलविज्ञान),

तेलंगाना सरकार, हैदराबाद

17. श्री आर. शिवप्रसादन पिल्लई,
कार्यपालन अभियंता,
कावेरी विशेष प्रकोष्ठ,
केरल सरकार, नई दिल्ली

18. श्री विजय कुमार पी.जी.
सहायक अभियंता,
कावेरी विशेष प्रकोष्ठ,
केरल सरकार, नई दिल्ली

19. श्री डी. शंकरा राव,
उप अधीक्षण अभियंता (आईएस एवं डब्ल्यूआर),
आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद

20. श्री उदय कुमार,
आवासीय आयुक्त, जल संसाधन विभाग,
बिहार सरकार, नई दिल्ली

रा.ज.वि.अ.के अधिकारी

1. श्री आर.के. जैन,
मुख्य अभियंता (मु०),नई दिल्ली

2. श्री एम.के. श्रीनिवास,
मुख्य अभियंता (दक्षिण),हैदराबाद

3. श्री एच.एन. दीक्षित,
मुख्य अभियंता (उत्तर),लखनऊ

4. श्री एन.सी. जैन,
निदेशक (तक.), नई दिल्ली

5. श्री के.पी. गुप्ता,
अधीक्षण अभियंता,नई दिल्ली

6. श्रीमती जैंसी विजयन,
निदेशक (एमडीयू),नई दिल्ली

7. श्री एम.एस. अग्रवाल,
वरिष्ठ परामर्शदाता, रा.ज.वि.अ.,
नई दिल्ली

अनुलग्नक-II

नदियों को जोड़ने के लिए विशेष समिति की छठवीं बैठक में श्री एम.बी. पाटिल, माननीय जल संसाधन मंत्री द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक सरकार विचार

महानदी-गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-कावेरी-वैगई-गुंडार लिंक

1. 1980 में अधिशेष जल का मोड़ (महानदी और गोदावरी नदी घाटियों से) लगभग 1300 टीएमसी (30 एमएएफ) होने का अनुमान था। कर्नाटक राज्य को 283 टीएमसी आवंटित किया गया था (196 टीएमसी कृष्णा बेसिन में और 87 टीएमसी कावेरी बेसिन में)।

2. 2000 में, अधिशेष जल उपलब्ध 925 टीएमसी (26193 मैक्यूम) को संशोधित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कर्नाटक के 164 (टीएमसी) के आवंटन (कृष्ण बेसिन में 107 टीएमसी और कावेरी बेसिन में 57 टीएमसी) में संशोधन हुआ गया।

3. 2010 में अधिशेष की उपलब्धता को संशोधित कर 718 टीएमसी (20,326 एमसीयूएम)किया गया, कर्नाटक राज्य का आवंटन पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था।

4. रा.ज.वि.अ. द्वारा आवंटन में संशोधन करने की प्रक्रिया में(भारत सरकार की जानकारी के साथ), संवर्धन से कर्नाटक का हिस्सा, कृष्णा और कावेरी दोनों बेसिनों में,पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था।

5. कर्नाटक राज्य में कृष्णा बेसिनमें वृहत् डीडीपी और डीपीएपी क्षेत्रों और कावेरी बेसिनमें सबसे बड़ा सूखा प्रभावित इलाका है, जो वास्तव में रा.ज.वि.अ. द्वारा अन्य प्रासंगिक और ठोस बेसिनकारकों के अलावा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है।

6. भारत सरकार नेस्वाभाविक रूप से उपलब्ध जल संसाधनों के आवंटन के मामले में, न्यायाधिकरण द्वारा पहले से ही आवंटित इन दोनों राज्यों के लिए बड़े हिस्सों के अलावा और अधिक भारी हिस्से आवंटित कर, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु के हिस्सोंको बढ़ा दिया है।

7. व्यपवर्तन से लाभ "न्यायसंगत सिद्धांत" के आधार पर किया जाना चाहिए जिसकी भारत में जल विवादों के न्यायाधिकरणों द्वारा वकालत की जाती है जैसे कि (i) सांस्कृतिक क्षेत्र; (ii) विद्यमान सिंचाई क्षेत्र; (iii) संभावित सिंचाई (iv) पीने के जल की आवश्यकताओं; (V) पर्यावरण की आवश्यकताओं; (vi) सूखा प्रवण क्षेत्रों आदि।

8. "जल मंथन" (20-22 नवंबर, 2014) के दौरान चर्चा में, श्री एम.बी. पाटिल, माननीय सिंचाई मंत्री, कर्नाटक सरकार ने कहा कि:

   i. कर्नाटक राज्य नदियों के अंतर्योजन की परियोजनाओं का समर्थन करता है।
   ii. नदियों के अंतर्योजन की परियोजना समान न्यायसंगत जल के आधार पर होना चाहिए।
   iii. वर्ष 2000 के प्रतिवेदन में नदियों का अंतर्योजन से कर्नाटक के लाभ को 283 टीएमसी से घटाकर 164 टीएमसी कर दिया गया।
   iv. नदियों का अंतर्योजन से कर्नाटक के लाभों को 2010 की रिपोर्ट में 184 टीएमसी से शून्य तक घटा दिया गया है।

9. वर्ष 2010 से ही कर्नाटक राज्य की प्रमुख चिंता का विषय महानदी और गोदावरी के अधिशेष से हस्तांतरित अपनी हिस्सेदारी को प्राप्त करने की रहा है। कर्नाटक के लगातार प्रयासों के बावजूद, कर्नाटक राज्य की चिंता को पुन: एमओडब्ल्यूआर अथवा रा.ज.वि.अ. द्वारा ध्यान में नहीं लाया गया।

10. आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के विपरीत कर्नाटक राज्य पीआरडी योजनाओं के तहत अपने न्यायपूर्ण हिस्से से वंचित हो गया है।

11. उर्ध्वप्रवाही राज्यों द्वारा परिप्रेक्ष्य योजना से हिस्सों के उपयोग की व्यवस्था प्रतिस्थापन की अवधारणा की गई है। यह समझ में नहीं आता है कि भारत सरकार द्वारा इस अवधारणा को कैसे समाप्त कर दिया गया है।

12. कर्नाटक राज्य द्वारा उठाए गई चिंताओं के बारे में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) की तैयारी के साथ नदियों का अंतर्योजन(आईएलआर) के लिए विशेष समिति के माध्यम से रा.ज.वि.अ.बेपरवाह आगे बढ़ रहा है।

13. अब तक, कर्नाटक की तर्कों का कोई ठोस संज्ञान रा.ज.वि.अ. या केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा नहीं लिया गया है। इसके बजाए,पीआरडी योजना के तहत लाभ मेंकर्नाटक के न्यायपूर्ण हिस्से को आश्वस्त करने और सुनिश्चित करने के लिए कोई भी ध्यान दिए बिना, कर्नाटक को एनडब्ल्यूए के निर्णयों में भागीदार-दर्शक बनाने का कार्य किया है।

<u>अलमट्टी-पेन्नार लिंक:</u>

1. कर्नाटक के आवंटन को अलमट्टी-पेन्नार नदी के लिंकमें 13.66 टीएमसी के रूप में दर्शित किया गया है।

2. कर्नाटक में मौजूद वर्तमान अलमट्टीजलाशय, कर्नाटक में एफआरएल 524.256 मी. के लिए कर्नाटक में केडब्ल्यूडीटी-I और II द्वारा आवंटित किए गए हिस्से से 303 टीएमसी जल के उपयोग के लिए पूरी तरह से आवश्यक है।

3. केडब्ल्यूडीटी-II के अगले प्रतिवेदन में अंतिम आदेश के खंड-XVI के अनुसार, यह आदेश 31 मई, 2050 के बाद किसी भी समय समीक्षा या संशोधन के लिए आएगा।

4. कृष्णा नदी बेसिनके अधिशेष जल के आवंटन पर भी 31 मई, 2050 के बाद विचार किया जाएगा।

5. इस प्रकार अलमट्टी-पेन्नार लिंक को पीआरडी योजना से बाहर रखा जाना है।

<u>तमिलनाडु में पोन्नैयार (कृष्णागिरि)-पलार लिंक</u>

1. रा.ज.वि.अ. ने तमिलनाडु में पौन्नैयार (कृष्णगिरी)-पलार लिंककी संभाव्यता पर अध्ययन किया है।

2. बेंगलुरु शहर का लगभग दो तिहाई पौन्नैयार नदी बेसिन में स्थित है, जो कावेरी नदी से पेयजल की आपूर्ति के लिए जल प्राप्त करता है।

3. रा.ज.वि.अ. ने एक पूर्व-संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें जल संतुलन अध्ययन द्वारा, बेंगलुरू शहर की पेयजल आपूर्ति से उपलब्ध, कृष्णागिरी बांध के ऊपर की ओर तक 271 एमसीयूएम (9.57 टीएमसी) का आयात करने पर ध्यान रखा गया है।

4. बेंगलुरु जल आपूर्ति से कर्नाटक द्वारा पुनर्जीवित जल का उपयोग करने के अधिकार के मद्देनजर,जो कावेरी नदी से खींचा जा रहा है,तमिलनाडु के पक्ष में जल संतुलन अध्ययन में 271 एमसीयूएम को माना जाना उचित नहीं होगा।

5. जैसा कि कर्नाटक द्वारा कावेरी बेसिन में सिंचाई हेतु किए गए आवंटन को घटाकर और उस आधार पर बलिदान करके बेंगलुरु जल आपूर्ति की आवश्यकता को पूरा कर रहा है,कर्नाटक को इसके लाभ के लिए पुनर्जीवित जल प्रवाह का आवश्यकतानुसार उपयोग करने का अधिकार है रा.ज.वि.अ. द्वारा कर्नाटक के हितों की अनदेखी करते हुए अपने जल संतुलन अध्ययन में पुनर्जीवित जल प्रवाह की गणना सही नहीं है।

6. विशेष समिति की तीसरी बैठक में यह उल्लेख किया गया है कि रा.ज.वि.अ. द्वारा तमिलनाडु के पौन्नैयार-पलार लिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार की गई है।

7. यह एक बार फिर दोहराया जाता है कि, रा.ज.वि.अ. डी.पी.आर. में जल संतुलन अध्ययन में बेंगलुरु शहर की पेयजल आपूर्ति से पुनर्जीवित जल पर विचार नहीं करेगा।

8. कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरू शहर के पुनर्जीवित जल के उपयोग के लिए 1000 करोड़ रुपये की लागत वाली योजना तैयार की है।

अनुलग्नक-III

नदियों का अंतर्योजन पर विशेष समिति की छठवीं बैठक के दौरान श्री एम. गोपालकृष्णन, अध्यक्ष, उप-समिति-रा.ज.वि.अ.का पुनर्गठन द्वारा की गई प्रस्तुतियों एवं अनुशंसाओं का संक्षिप्त विवरण ।

श्री गोपालकृष्णन ने उप-समिति की संरचना और रा.ज.वि.अ. के पुनर्संरचना का सुझाव देने में उप-समिति के दृष्टिकोण को संक्षेप में समझाया, ताकि उनके विस्तारित अधिदेश पर विचार किया जा सके। उन्होंने उल्लेख किया कि प्रतिवेदन पूरा हो चुका है और औपचारिक रूप से शीघ्र ही इसे प्रस्तुत किया जाएगा। उनके टिप्पणियां निम्नानुसार हैं

उप-समिति ने पाया कि रा.ज.वि.अ. सर्वोत्तम संभव तरीके से नदियों के जोड़ने पर काम करने में उसे सौंपे गए बुनियादी कार्यों को पूरा करने में सफल रहा है; और रा.ज.वि.अ. द्वारा किए जाने वाले कार्यों और बाधाओं की विशिष्टता का सम्मान करते हुए, प्रदर्शन सराहनीय है।काम की वर्तमान योजना के तहत नदियों के अंतर्योजन का कार्यान्वयन, एक सोसायटी के रूप में रा.ज.वि.अ. के साथ, वांछित सीमा तक इस परियोजना के प्रभावी और आक्रामक संवर्धन में आवश्यक नहीं था। जब 'कार्यान्वयन में तेजी लाने' को बारंबार अलग-अलग स्थानों से, विशेषकर न्यायपालिका द्वारा अनुरोध किया गया, बहुत सा समय लग गया।

जबकि रा.ज.वि.अ. एक समाज के रूप में था और इस योजना तक प्रासंगिक है,एक मेज अध्ययन के रूप में शुरू हुआ लिंकपर विभिन्न चरणों तक पहुंचे, जिसमें राज्यों के साथ एक प्रेरक और सुलह दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जैसे कि एक सीमित सर्वेक्षण और जांच के साथ अध्ययनों जैसे जल संतुलन अध्ययन, पूर्व-संभाव्यता अध्ययन और संभाव्यता अध्ययन।चीजें एक जैसी नहीं हैं, जैसा कि हम आगे बढ़ने के चरण में आगे बढ़ते हैं, जिससे कार्यान्वयन हो रहा है। कार्यों पर विस्तार किया गया है और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के प्रारंभ (निधि विकास परियोजना प्रतिवेदन, दाता अभिकरणों के विशिष्ट कक्ष में) और जमीन पर परियोजना को ले जाने के लिए आवश्यक धन के साथ कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त मशीनरी बनाने के लिए त्वरित कदम की आवश्यकता है।

संक्षेप में उप-समिति की महत्वपूर्ण अनुशंसाएं निम्नानुसार हैं:

(i) एक नया संस्थान, राष्ट्रीय नदियों को जोड़ने का प्राधिकरण (नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ़ रिवर्स अथॉरिटी – एनआईआरए) बनाया जाना चाहिए, जो नदियों के अंतर्योजन के समग्र उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए सशक्त हो। नदियों के अंतर्योजन लागू करने के लिए प्राधिकरण को सक्षम होना चाहिए। उप-समिति का मानना है कि संसद के एक अधिनियम के माध्यम से प्रस्तावित प्राधिकरण का निर्माण आवश्यक होगा।

(ii) प्राधिकरण के प्रमुख को उच्चतम स्तर पर राज्य सरकार के अधिकारियों को आमंत्रित करने एवं नदियों का अंतर्योजन की विशेष समिति की उपयुक्त रूप से मदद करने में सशक्त होना चाहिए--लिंक परियोजनाओं पर आवश्यक सर्वसम्मति प्राप्त करने में मुख्य उद्देश्य का समर्थन किया जा रहा है।

(iii) केन-बेतवा लिंकपरियोजना के लिए प्रस्तावित रूप से संबंधित राज्यों द्वारा उचित रूप से सहमत लिंकके कार्यान्वयन के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) बनाया जाएगा।

(iv) विदेश मंत्रालय;गृह मंत्रालय;पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं कानून मंत्रालय के परामर्श के बाद, एनआईआरए के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समन्वय विभाग के विशिष्ट आंतरिक और स्टाफ पद्धति को सुदृढ़ किया जा सकता है। उप-समिति, वर्तमान मेंएनआईआरए के लिए पूर्ण संरचना के प्रवर्धन में नहीं जा रही है। उप-समिति, हालांकि, यह मानती है कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समन्वय से संबंधित कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और बिना किसी और देरी के आवश्यक तंत्र बनाए जाने की आवश्यकता है।

(v) एनआईआरए सभी विद्यमानरा.ज.वि.अ. अधिकारियों और कर्मियों को समाहित करेगा, उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा करेगाऔर उन्हें संगठित सेवाओं की तुलना में परिष्कृत करेगा।सभी सरकारी नियम और विनियम लागू होंगे। ये सरकार के अनुसार समान प्रावधानों के अनुगामी कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ के लिए लागू हैं।

(vi) ऐसे किसी भी अन्य प्रावधान, जो इस तरह के बदलाव के लिए आवश्यक और उपयुक्त हैं, केंद्र सरकार के उपयुक्त आदेश द्वारा प्रख्यापित किए जा सकते हैं।

(vii) उक्त को लंबित रखते हुए, जैसा कि कुछ समय के चूक के रूप में, अपरिहार्य हैं, कुछ तत्काल पुनर्निर्माण उपायों को सुनिश्चित किया जाए ताकि संगठन को अपेक्षित सेवा देने और निकट भविष्य में विशेष समिति, नदियों का अंतर्योजनको प्रभावी ढंग से सहायता प्रदान कर सके।

(viii) उप-समिति ने देखा कि रा.ज.वि.अ. के कार्यों और गतिविधियों में लगातार वृद्धि हुई है, जबकि रा.ज.वि.अ. में पेशेवरों का संख्या बल कम हो रहा है।यह निस्संदेह गंभीर चिंता का मामला है। उप-समिति बहुत दृढ़ता से महसूस करती है कि व्यापक और प्रभावी तरीके से मुद्दों को हल करने के लिए पेशेवरों के साथ रा.ज.वि.अ. को सबल करना एक परम आवश्यकता है। आधुनिक उन्नत उपकरणों जैसे भौगोलिक सूचना प्रणाली, रिमोट सेंसिंग एप्लिकेशन और प्रणाली अध्ययन सॉफ़्टवेयर से सुसज्जित पेशेवरों के एक बहु-शास्त्रीदल एक तत्काल आवश्यकता है।

(ix) उप समिति ने प्रस्तावित किया है कि विद्यमानव्यवस्थापन को मजबूत बनाने का एक भाग, पूर्वी/उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मुख्य अभियंता की अध्यक्षता वाली एक नई मैदानी इकाई के साथ विद्यमान व्यवस्थापन को मजबूत करने और प्रणाली अध्ययनों, व्यापक मूल्यांकन/परियोजना निगरानी के लिए विशिष्ट नई कार्यात्मक इकाइयां, एवं एक जीआईएस और आरएस यूनिट (प्रत्येक मामले में मुख्य अभियंता के पद के अधिकारी के नेतृत्व में भी) सहायक कर्मचारियों के साथसंबंधी सहयोग (प्रशासन, वित्त आदि) को पर्याप्त वृद्धि के साथ रा.ज.वि.अ.के संवर्धित ढांचे के अनुरूपपरिकल्पित किया गया है।

(x) तत्काल वृद्धि रा.ज.वि.अ.के सभी स्तरों पर न्यूनतम 710 पदों (124 समूह 'ए' अधिकारी, 107 ग्रुप 'बी' अधिकारी और 47 9 ग्रुप 'सी' अधिकारियों और कर्मचारी शामिल हैं) के साथ परिकल्पित है, जो 1982 में रा.ज.वि.अ. के प्रारंभिक चरण में 1677 के कार्यबल आंकड़ों से बहुत कम है।

*****